Small Scale Inventions Development Board

2369. { **Shri Dhuleshwar Meena:**
Shri Ulaka:

Will the Minister of **Commerce and Industry** be pleased to state:

(a) whether any prizes were given by the Small Scale Inventions Development Board during 1962-63; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Industry in the Ministry of Commerce and Industry (Shri Kanungo): (a) Yes, Sir.

(b) A statement showing the names of prize winners for the year 1962-63 alongwith their inventions and amount awarded to each is laid on the **Table of the House.** [*See* No. LT-1217/63].

कारतूसों की कीमत

२३७०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कारतूसों की कीमत बहुत बढ़ गयी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशी कारतूसों को चोरबाजार में भी बेचा जाता है ;

(ग) कारतूस उचित दामों पर और अच्छी मात्रा में मिल सकें इस सम्बन्ध में सरकार क्या कुछ व्यवस्था कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कब तक अंतिम निर्णय कर लिया जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : जी, नहीं ।

(ग) और (घ): युद्ध-सामग्री बनाने वाले भारतीय कारखानों द्वारा निर्मित कारतूसों की विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेचने का प्रबन्ध किया जा चुका है । आयात किये गये कारतूसों के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है किन्तु अप्रैल, १९६२ से पुराने आयातकों द्वारा कारतूसों का आयात किये जाने पर रोक लगा दी गयी है । इण्डियन रायफल एसोसियेशन, रायफल क्लब्स एण्ड सिटी रायफल एसोसियेशन्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राज्य व्यापार निगम को रुपये वाले क्षेत्रों से केवल उन्हीं कारतूसों का आयात करने के लिए लाइसेंस दिये जाते हैं जो देश में नहीं बनते हैं । रायफल एसोसियेशनों और क्लबों को भी केवल उन्हीं किस्मों के कारतूस आयात करने के लाइसेंस दिये जायेंगे जो देश में नहीं बनते तथा जो राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये गये स्टाक से नहीं मिल सकते हैं ।

इस्पात की ट्यूबों का उत्पादन और वितरण

२३७१. { **श्री राम सेवक यादव :**
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री बागड़ी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के समस्त इस्पात के ट्यूब बनाने वालों को यह हिदायत जारी कर दी है कि वे अपने उत्पादकों का वितरण केवल मान्यता प्राप्त व्यापारी संघों और यह काम करने वाले अन्य व्यापारियों के द्वारा ही करायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उपरोक्त हिदायतों का उल्लंघन किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो किन संगठनों ने इन हिदायतों का उल्लंघन किया है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?